

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 26 फरवरी, 2003 (फाल्गुन 7, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्रीमती जमुना देवी, उप मुख्यमंत्री महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगी.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) युवराज तुकोजी राव पवार, श्री बुजमोहन ब्रह्मीनारायण, सदस्य, देवास नगर स्थित होटल में सुतार बाखल निवासी एक व्यक्ति की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री लालसिंह राणावत, सदस्य, उज्जैन जिले के खच्चरोद से अपहृत बालक का पुलिस द्वारा पता न लगाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. शासकीय विधि विधेयक कार्य

(1) श्री गनपत सिंह उइके, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 2 सन् 2003) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

(2) श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 3 सन् 2003) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

(3) श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 4 सन् 2003) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

(4) श्री हजारीलाल रघुवंशी, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 6 सन् 2003) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

5. वर्ष 2003-2004 के आय-व्यय पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

श्रीपाल :
दिनांक : 25 फरवरी, 2003

डॉ.ए.के. पचासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.